"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2011—वैशाख 22, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 399/778/2011/1-7, दिनांक 05-04-2011 में राज्य के जिला दन्तेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में माह मार्च, 2011 में नक्सलवादी पुलिस मुठभेड़ एवं आगजनी की घटनाएं हुई थी, जो राज्य शासन की राय में सार्वजनिक महत्व की होने से इनके संबंध में विभिन्न पहलुओं पर न्यायिक जांच किये जाने हेतु श्री इंदरसिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर को विशेष जांच आयोग का एकल सदस्य नियुक्त किया गया था.

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी. (सिविल) 250/2007 नंदिनी सुन्दर एवं अन्य विरुद्ध शासन की सुनवाई दिनांक 25-4-2011 के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा पृच्छाएं किये जाने पर राज्य शासन की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह अनुरोध किया जायेगा कि उपरोक्त जांच हेतु उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश को नामांकित करें. तद्नुसार राज्य शासन के अनुरोध पर माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने हेतु नामांकित किया गया है.

3. अत: उक्त घटना से संबंधित सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों पर जांच के प्रयोजन के लिये जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उपरोक्त लोक महत्व की विशेष जांच हेतु माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अध्यक्षता में विशेष जांच आयोग का गठन करता है :—

(1) घटना कब और कैसे घटित हुई ?

(2) दिनांक 11 से 16 मार्च के दौरान चौकी चिन्तलनार (थाना-जगरगुण्डा) एवं थाना चिन्तागुफा के ग्राम क्रमश: मोरपल्ली, तिम्मापुरम एवं ताड़मेटला में क्या नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी ?

(3) उक्त घटना में पुलिस या नक्सलियों में से क्या कोई व्यक्ति मृत या घायल हुआ था ?

(4) क्या उक्त घटना में संबंधित ग्रामों के कुछ घरों में आग लगी थी, जिससे लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुये ? यदि लोगों के घर आगजनी से क्षतिग्रस्त हुये तो उसका कारण क्या था ? उक्त घटना के लिये जिम्मेदार कौन है ?

(5) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के संबंध में सुझाव.

(6) दिनांक 26-3-2011 को स्वामी अग्निवेश के साथ दोरनापाल में घटित घटना की जांच.

4. आयोग उक्त जांच इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा. जांच के दौरान तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर आयोग किसी संस्था विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा.

5. इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 399/778/2011/1-7, दिनांक 05-04-2011 द्वारा उक्त घटना की जांच हेतु श्री इंदरसिंह उबोवेजा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर को विशेष जांच आयोग का एकल सदस्य नियुक्त करने संबंधी आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2011.